

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर ।

अपील संख्या-78/2011

दीन खाँ---फौत

1- अब्दूल गनी पुत्र दीन खाँ

2- राकिन मोहम्मद पुत्र दीन खाँ

3- रोशन मोहम्मद पुत्र दीन खाँ

4- नूरजहां बानों पुत्री दीन खाँ

5- बतुल बानों पुत्री दीन खाँ

जाति मणियार मुसलमान  
निवासीगणा ग्राम हर्ष तहसील  
व जिला सीकर राज०

---अपीलान्टस्---

1- पीरबक्स पुत्र जमाल खाँ

2- दीन खाँ पुत्र जमाल खाँ

3- उप पंजीयक, उप पंजीयक कार्यालय सीकर तहसील व जिला सीकर ।

जाति मणियार मुसलमान निवासी ग्राम हर्ष  
तहसील व जिला सीकर ।

---रेस्पोंडेन्टस्---

अपील विरुद्ध निर्णय दिनांक

4-7-2011 द्वारा सहायक

कलेक्टर, सीकर ।

---0---

उपस्थिति-

1-श्री नानूराम बुडानिया एडवोकेट- अपीलान्ट

2-श्री कैलाशचन्द शर्मा एडवोकेट- रेस्पोंडेन्ट

3-श्री सुभाष बंसल एडवोकेट- रेस्पोंडेन्ट

निर्णय दिनांक- 14.6.2018



संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी/अपीलान्ट ने योग्य अदालत मातहत में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-212 राजस्थान कारतकारी अधिनियम का पेशा कर निवेदन किया कि आराजी ख0नं0 88 रकबा 2 76 हैक्टर ग्राम आतरी तहसील व जिला सीकर प्रार्थी की एकाकी कब्जे कारत की भूमि है । आवेदक एवं अनावेदक संख्या-1 व 2 आपस में भाई है । उक्त आराजी में 1/3 हिस्सा आवेदक एवं 2/3 हिस्सा अनावेदक संख्या-1 व 2 का राजस्व रेकार्ड में दर्ज है । अनावेदक संख्या-2 भोला भाला अविवाहित है जो अनावेदक संख्या-1 के पास ही रहता है । आवेदक एवं अनावेदक संख्या-1 व 2 की ग्राम हर्ब में एक आवासीय गुवाडी ओर है । इस गुवाडी व उक्त आराजी का मौजीज व्यक्तियों के समक्ष पारिवारिक बटवारा की लिखावट 20-11-86 को की गई । जिसके बाद प्रार्थी ने अपने हिस्से में भाई आराजी पर काफी पैसा खर्च कर उसे समतल एवं उपजाऊ बनाई है । तथा इस आराजी में अपने आवासीय प्रयोजनाथ कच्चे/ एवं पक्के मकान बनवाये हैं । बटवारे के अनुसार गुवाडी अनावेदक संख्या-1 व 2 के हिस्से में तथा विवादित आराजी आवेदक के हिस्से में रही है । इस प्रकार दि0 20-11-86 से आवेदक इस आराजी पर अकेला कारबिज कारत चला आ रहा है । अनावेदक बढ़ती हुई कीमतों को देखते हुये गलत राजस्व रेकार्ड की आड में बैचान करने पर आमादा है । इस पर आवेदक ने गांव के मौजीज व्यक्तियों को इक्कठा कर उंहाना दिया तो उन्होने कहा यह गलती हो गई राजस्व रेकार्ड से नाम हटवा देंगे किन्तु उन्होने अब मना कर दिया तथा उक्त आराजी को बैचान करने की धमकी दी । यदि अनावेदक संख्या-1 व 2 इस कुउदेश्य में सफल हो जाते है तो आवेदक को अपूर्णधि क्षति होगी । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अनावेदक संख्या 1 व 2 को पाबन्द किया जावे कि वह विवादित आराजी का बैचान अन्तरण रहन न करें तथा आवेदक के कब्जा कारत में कोई दखल अन्दाजी नहीं करें । योग्य अदालत मातहत ने बाद सुनवाई आवेदक का सं0 प्रार्थना पत्र एवं अनावेदक सं0-1 व 2 का काउण्टर कलेम खारिज कर दिया । जिसके विरुद्ध आवेदक एवं अनावेदक ने अलग अलग दो अपीले निम्न आधारों पर प्रस्तुत की है ।



योग्य अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली है। अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में निवेदन किया था कि विवादित आराजी पर अपीलान्ट पारिवारिक बंटवारा दिनांक 20-11-86 के अनुसार काबिज कार्रकार है तथा बंटवारा के बाद इस आराजी पर काफी पैसा खर्च कर इसे समतल बनाया तथा पेड पौधे लगाकर उपजाऊ बनाया है तथा इस आराजी पर आवास हेतु कच्चे एवं पक्के मकान बनाकर दिनांक 20-11-86 से काबिज चला आ रहा है। पारिवारिक बंटवारा की लिखावट स्टाम्प पर की गई है। जो पत्रावली पर मौजूद है। इस लिखावट पर अदालत मातहत ने कोई गौर न कर अपना निर्णय दिया है जो विधि के विपरित है। अपीलान्ट पारिवारिक सम्झौते के अनुसार लॉ फुल तरीके से काबिज कार्रकार चला आ रहा है। जिससे अपीलान्ट का प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का सन्तुलन है तथा दिनांक 20-11-86 से लगातार काबिज होने से अपीलान्ट को बेदखल किया जाता है तो अपूर्णिय क्षति भी अपीलान्ट को ही है। अदालत मातहत ने इन तीनों बिन्दुओं पर कोई विवेचन न कर अपना निर्णय दिया है। विवादित आराजी जब इन मिडियों हो गई तो कानूनन विवादित की रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति का आदेश पारित किया जाना चाहिये था। किन्तु अदालत मातहत ने अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र खारिज कर कानूनी भूल की है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय निरस्त किया जाकर प्रार्थना पत्र अस्थाई निवेधाना स्वीकार किया जावे।

अपील संख्या-103/2011 उनवान पीरबक्स--बनाम-- दीन खां

योग्य अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली है। विवादित आराजी अपीलान्ट एवं उसके भाई दीन खां व दौल खां की संयुक्त कब्जा कार्र की पैतृक भूमि है। जिसमें तीनों भाईयों का 1/3, 1/3 हिस्सा है इसी अनुसार काबिज कार्रकार दर्ज है। रेस्पोंडेंट दीन खां ने इस आराजी की खातेदारी अपने नाम दर्ज करवाने का दावा गलत रूप से पेश किया है तथा यह प्रार्थना पत्र भी कानून के विरुद्ध पेश किया है। विवादित आराजी के अपीलान्ट पीरबक्स काबिज खातेदार कार्रकार है। दीन खां ने चक्की का लोड बढ़ाने के

के लिये लिखावट दिनांक 20-11-86 को लिखकर दी थी पारिवारिक बंटवारा की लिखावट नहीं है। रेस्पोंडेंट दीन खां इस लौड बढ़ाने की लिखावट का गलत प्रयोग कर अपीलान्ट को विवादित आराजी की काश्त करने में दखल अन्दाजी कर रहा है। जिसके लिये अपीलान्ट ने अदालत मातहत में प्रार्थना पत्र काउण्टर टी0 आई0 का पेशा किया जिसे अदालत मातहत ने विधि विरुद्ध खारिज किया है। अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर रेस्पोंडेंट का प्रार्थना पत्र खारिज कर अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र काउण्टर टी0आई0 स्वीकार कर रेस्पोंडेंट को पाबन्द किया जावे कि वह अपीलान्ट के कब्जा काश्त उपयोग उपभोग में कोई दखल अन्दाजी नहीं करे।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट को जरिये नोटिस तलब किया गया। अदालत मातहत की पत्रावली मंगाई जाकर शामिल पत्रावली की गई। बहस विद्वान अभिभाषकगण सुनी गई।

बहस बगौर समाहत की गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। उक्त दोनों अपीलों में पक्षकार एवं विवाद बिन्दू समान है। इस कारण दोनों अपीलों का निर्णय एक साथ किया जा रहा है। जमाबन्दी सं0- 2062 से 2065 में विवादित आराजी ख0न0 88 रकबा 2-76 हेक्टर की खातेदारी दीन खा, पीरबक्स दौल खा पि0 जमाल खा के नाम दर्ज है। लिखावट दिनांक 20-11-86 में विवादित आराजी एवं आवासीय गुवाडी की लिखावट है। राजस्व रेकार्ड के अनुसार यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी अपीलान्ट एवं रेस्पोंडेंट्स के नाम दर्ज रही है जिसमें प्रत्येक का 1/3, 1/3 हिस्सा है। अपीलान्ट एवं रेस्पोंडेंट विवादित आराजी के सहखातेदार दर्ज है। अपीलान्ट दीनखां ने तथा पीरबक्स ने एक दूसरे को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का निवेदन किया है किन्तु राजस्व रेकार्ड से यह स्पष्ट है कि अपीलान्ट एवं रेस्पोंडेंट विवादित आराजी के सहखातेदार काश्तकार है और एक सहखातेदार काश्तकार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना कानूनन उचित नहीं होने से अदालत मातहत ने अपीलान्ट एवं रेस्पोंडेंट दोनों के ही प्रार्थना पत्र खारिज किये है। जिसमें हथ किसी प्रकार

की कोई विधिक शल नहीं पाते हैं। तथा अदालत मातहत के आदेशों में किसी




-5-

प्रकार का हस्तक्षेप उचित नहीं मानते हैं ।

अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा विद्वान सहायक कलेक्टर प्रथम सीकर का निर्णय दिनांक 4-7-11 को यथावत रखा जाता है ।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 14.6.2018 को सुनाया गया ।

  
१ भंबुरलाल मेहरडा १  
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं  
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी  
सीकर